प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 27.07.2022

अप मिश्रित कच्ची शराब के साथ 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1000 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 03 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27 जुलाई 2022 को थाना क्षेत्र में अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय के रोकथाम दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप मिश्र द्वारा 1000 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब 03 किलोग्राम यूरिया व 10 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण 12 अदद एलमुनियम के भदेले एवं 05 अदद प्लास्टिक नलकी लगे ड्रम के साथ अभियुक्तगण 1. रामू पुत्र दशरथ निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जिला गोरखपुर 2. सिकन्दर पुत्र स्व. कमलाकांत निवासी माथ बाजार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर 3. झिनक उर्फ चिक्कन पुत्र स्व.मुराली निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जिला गोरखपुर को अमरुद बाग चकरा अव्वल से समय करीब 05:30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर *मुकदमा अपराध संख्या 196 एवं 197/22 धारा 272 आईपीसी एवं 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रामू पुत्र दशरथ निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जिला गोरखपुर
2. सिकन्दर पुत्र स्व. कमलाकांत निवासी माथ बाजार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. झिनक उर्फ चिक्कन पुत्र स्व.मुराली निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जिला गोरखपुर

बरामदगी :-

लगभग 1000 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब 3 किलोग्राम यूरिया व 10 किलोग्राम नौसादर एवं कच्ची शराब बनाने के उपकरण 12 अदद एलमुनियम के भदेले व 5 अदद प्लास्टिक नलकी युक्त टीन के ड्रम

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-

अमरुद बाग चकरा अव्वल से समय : 05:30 बजे

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1-मु.अ.सं. 196/2022 धारा 272 आईपीसी एवं 60(2) आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

2-मु.अ.सं. 197/22 धारा 272 आईपीसी एवं 60(2) आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

1-उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

2-कां.मंगलदीप यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

3-कां.अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

4--कां.हृदयेश सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर